(3)

पत्र संख्या-8/सू0अ0-15-52/2007-का0 6279 /

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

=====

प्रेषक,

मनीष कुमार, भा0प्र0से0,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 1-7 जून, 2009.

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, बिहार सूचना आयोग, पटना के पत्रांक-1547 दिनांक 17-12-07 तथा इस विभाग के पत्रांक-12714 दिनांक 28-12-07 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 का क्रियान्वयन सभी लोक प्राधिकारों द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

2-सूचना का अधिकार पर गठित राष्ट्रीय उप समिति द्वारा पाया गया है कि बिहार राज्य में 50% से अधिक लोक प्राधिकारों द्वारा अधिनियम की धारा-4 का कार्यान्वयन नहीं किया गया है। इस संबंध में उप समिति के सदस्य डॉ0 मो0 शकील अहमद, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई है।

अत: अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारों को अधिनियम की धारा-4 के प्रावधानों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यथाविहित अनुदेश निर्गत करने का कष्ट किया जाय तथा धारा-4 के अनुपालन प्रतिवेदन से आयोग को भी अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

(ह०)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक संख्या-8/सू0अ0-15-52/07-का0 6279 /पटना, दिनांक 1-7-जून, 2009.